### Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

#### Lok Sabha

Un-Starred Question No 3638
To be answered on Monday, 11<sup>th</sup> August, 2025
Sravana 20, 1947 (Saka)

#### DA Arrears for Central Government Employees during COVID-19

#### 3638. Shri Anand Bhadauria:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

- (a) whether the decision to freeze 18 months dearness allowance and dearness relief for Central Government employees and pensioners during COVID-19 were taken due to economic disruption and to ease pressure on Government finances;
- (b) if so, whether fiscal condition of the Government is still under pressure and is on the verge of bankruptcy;
- (c) if so, the details thereof and the reasons for failure of the Government to keep the robust fiscal condition of the country upto the mark which it inherited in legacy in 2014; and
- (d) if not, the time by which the Government would release the arrears of 18 months DA/DR?

#### **Answer**

# Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Pankaj Chaudhary)

- (a) The decision to freeze three instalments of Dearness Allowance (DA) / Dearness Relief (DR) to Central Government employees / pensioners due from 01.01.2020, 01.07.2020 & 01.01.2021 was taken in the context of COVID-19, which caused economic disruption, so as to ease pressure on Government finances.
- (b)& (c) The fiscal deficit of the Government of India has narrowed from 9.2 per cent in the Financial Year (FY) 2020-21 to 4.4 per cent in the FY 2025-26 (Budget Estimates).
- (d) The adverse financial impact of pandemic in 2020 and the financing of welfare measures taken by the Government had a fiscal spill over beyond FY 2020-21. Therefore, arrears of DA/DR were not considered feasible.

\*\*\*\*

:\_: www.staffnews.in :\_:

भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

#### लोक सभा

#### लिखित प्रश्न संख्या - 3638

सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)

# कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि 3638. श्री आनंद भदौरिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के कारण लिया गया था;
- (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार की राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है;
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को उस स्तर तक बनाए रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी; और
- (घ) यदि नहीं, तो सरकार 18 महीने के डीए/डीआर का बकाया कब तक जारी करेगी?

#### उत्तर

# वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

- (क) केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021 से देय महंगाई भते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किश्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके।
- (ख) एवं (ग) भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वितीय वर्ष 2020-21 में 9.2 प्रतिशत से घटकर वितीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 प्रतिशत हो गया है।
- (घ) वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा। इसलिए, डीए/डीआर का बकाया देना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

# :: www.staffnews.in::